अल्पकालीन निविदा सूचना

जिला पंचायत, शामली के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि शासन से प्राप्त अनुदान हेतु वर्ष 2017–18 के स्वीकृत बजट से मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश की सभी सडकों के कार्यों में 15 जून, 2017 तक सडकों को गड्ढामुक्त करने के आदेश दिनांक–31.03.2017 के अनुसार जनपद शामली में जिला पंचायत द्वारा 4 सडकों को गडढामुक्त करने हेतु निविदा दिनांक–25.05.2017 को साय 6.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो दिनांक–26.05.2017 को प्रातः 11 बजे सक्षम स्तर के समक्ष खोली जायेगी। निविदा को अब निविदायें सामान्य प्रणाली के स्थान पर ई–टैण्डरिंग व्यवस्था से डाउनलोड व अपलोड किये जायेंगें। प्रत्येक निविदा के साथ अनुमानित लागत की दो प्रतिशत धरोहर राशि राष्ट्रीयकृत बैंक के डी0डी0 जो अपर मुख्य अधिकारी के पदनाम से बंधक होगी, की प्रति टैण्डर के साथ अपलोड करनी होगी एवम् उसकी मूल प्रति दिनांक–25.05.2017 को सायः 7.00 बजे तक कार्यालय जिला पंचायत, शामली में प्राप्त करानी आवश्यक होगी। निर्माण कार्यों का विवरण एवं शर्तें किसी भी कार्यदिवस में दिनांक–19.05.2017 के उपरांत नोटिस बोर्ड पर एवं जनपद की वेबवाइट www.shamli.nic.in एवं जिला पंचायत की वेबसाइट zilapanchayatshamli@gmail.com से डाउनलोड कर विस्तृत विवरण देखा जा सकता है। किसी भी दशा में अनुबंध से पूर्व हुए कार्य को श्रमदान माना जायेगा। किसी भी कठिनाई के लिये श्री सुनील कुमार गुप्ता, अभियंता एवं श्री जितेन्द्रपाल सिंह, अवर अभियंता, जिला पंचायत, शामली के मोबाईल नं0 क्रमशः 9897544145 व 9837066738 पर अथवा किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय से संपर्क कर सकते है। कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रू0 में)	जमानत धनराशि (लाख रू0 में)	कार्य पूर्ण का दिनांक	टैण्डर फार्म मूल्य (वैट सहित)
1	ग्राम राझड से दुल्लाखेडी की ओर लेपन/अनुरक्षण कार्य।	12.25	1.225	15.06.2017	710.00
2	ग्राम कांधला–शामली रोड से नानूपुरी की ओर लेपन/अनुरक्षण कार्य।	9.96	0.996	15.06.2017	580.00
3	ग्राम जसाला एप्रोच रोड दिल्ली–शामली रोड गुरूसाक्षी बी0एड0 कॉलिज से जसाला तक एप्रोच का लेपन/अनुरक्षण कार्य।	9.07	0.907	15.06.2017	530.00
4	ग्राम धनैना–मादलपुर रोड पर धनैना रोड से इकबाल के खेत तक लेपन/अनुरक्षण कार्य।	18.05	1.805	15.06.2017	1050.00

1. निविदादाता जिला पंचायत का पंजीकृत ठेकेदार ही होगा तथा निविदायें ई–टैण्डरिंग के माध्यम से ही डाउनलोड व अपलोड की जायेगी।
2. निविदादाता किसी एक अथवा समस्त कार्यों की निविदा डाल सकता है।
3. निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है। प्रपत्र वेबसाइट से लोड करने की जानकारी कार्यालय से की जा सकती है।
4. ई–टैण्डरिंग के संबंध में शासन से यदि अन्य कोई निर्णय लिये जाते है तो ठेकेदारान को मान्य होंगें।
5. टैण्डर मूल्य पर देय वेट शुल्क दिया गया टैण्डर फार्म मूल्य (वैट सहित) आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत,शामली हेतु देय जिला पंचायत, शामली के खाता सं0–411202010992065 आई0एफ0एस0सी0 कोड–UBIN0541125

बैंक–यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शामली में जमा कर बैंक से उसकी प्राप्ति रसीद लेकर उसकी प्रति भी टैण्डर के साथ अपलोड करनी होगी एवम् ई–टैण्डर सुविधा प्रदाता एजेन्सी को टैण्डर फार्म मूल्य का 75 प्रतिशत नकद देना होगा।

6. ठेकेदार को शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों एवं दिशानिर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। किसी निविदा को कारण बताये निरस्तीकरण का पूर्ण अधिकार सक्षम प्राधिकारी जिला पंचायत,शामली में निहित होगा।

7. किसी भी कार्य की मात्रा घट/बढ सकती है अथवा कोई कार्य निरस्त/समाप्त भी किया जा सकता है।

8. ठेकेदार अन्य शर्ते आदि की जानकारी करना चाहें वह किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला पंचायत,शामली से कर सकते है।

9. ठेकेदारों का निविदा स्वीकृति के उपरांत उ0प्र0 भवन निर्माण एवं सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 एवं उ0प्र0 नियमावली 2009 के अंतर्गत श्रम विभाग में पंजीकरण कराना [illegible]

10. 10 लाख से अधिक धनराशि के कार्यों की निविदायें शासन की स्वीकृति के उपरांत ही स्वीकार की जायेगी।

11. निविदा उन्हीं पंजीकृत ठेकेदारों को विक्रय की जायेगी जिन्हें टैण्डर डाले जाने के दिनांक–25.05.2017 से कम से कम तीन माह पश्चात् अर्थात् दिनांक–25.08.2017 तक चरित्र प्रमाण–पत्र एवं हैसियत प्रमाण–पत्र वैध होंगें।

(सुनील कुमार गुप्ता) अभियंता, जिला पंचायत,शामली।	(सुभाष चन्द्र मिश्रा) अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत,शामली।

कार्यालय जिला पंचायत, शामली

पत्रांक– 13 /जि0पं0शा0/2017–18 दिनांक– 10-4-17

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित–

1. मा0 अध्यक्ष महोदया, जिला पंचायत, शामली की सेवा में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में।
2. जिलाधिकारी महोदय, शामली।
3. मा0 जिला जज कार्यालय, शामली।
4. मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी महोदय, (जिला पंचायत, शामली)।
5. संपादक–अमर उजाला तथा दैनिक हिन्दुस्तान को इस आशय से कि अतिशीघ्र इस विज्ञप्ति को कम से कम स्थान पर एक दिन प्रकाशित कराकर प्रकाशन की तीन प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।
6. वित्तीय परामर्शदाता/लेखाकार, जिला पंचायत, शामली को नियत समय एवं तिथि को टैण्डर प्रक्रिया में प्रतिभाग किये जाने हेतु।
7. जिला सूचना अधिकारी, शामली को इस अनुरोध के साथ कि यह विज्ञप्ति जनपद शामली की शासकीय वेबसाइट www.shamli.nic.in पर यह विज्ञप्ति तथा संलग्न निविदा फार्म अपलोड करने का कष्ट करें।

8. अभियंता, जिला पंचायत, शामली को इस निर्देश के साथ कि एन0आई0सी0 शामली के वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
9. समस्त पंजीकृत ठेकेदार, जिला पंचायत शामली को सूचनार्थ।
10. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

10.4.17

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, शामली।